

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
दिवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या -6902/2022**

=====

उमेश कुमार सिन्हा, पिता- स्व० अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा, निवासी-ग्राम- 16, फार्मास्युटिकल कॉलोनी भूतनाथ रोड, थाना- अगम कुआं, शहर व जिला- पटना।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. बिहार राज्य ।
2. सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय बेली रोड पटना।
3. विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय बेली रोड पटना।
4. विशेष कार्य पदाधिकारी सह जांच अधिकारी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय बेली रोड पटना।
5. उप सचिव, एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय बेली रोड पटना।

... .. प्रत्यर्थी/ओं

=====

उपस्थित:

अपीलार्थी की ओर से : श्री अखिलेश दत्त वर्मा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री अरविन्द उज्ज्वल (एससी-4)

=====

बिहार सरकार कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 2005—नियम 17—बिहार पेंशन नियम, 1950—नियम 43(बी) —पेंशन का 100% हनन—वर्तमान मामला मुकदमेबाजी का चौथा दौर है—पूर्व उच्च न्यायालय ने पहले ही देखा और यह माना कि जाँच अधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई साक्ष्य दर्ज किए बिना प्रमुख दंड पारित किया—एकमात्र दस्तावेज़ जिसे अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने विचार किया वह सतर्कता जाल मेमो और सतर्कता पुलिस स्टेशन द्वारा उक्त सतर्कता जाल मेमो के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज करना था और उसके तहत की गई शिकायत—अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान एक भी गवाह की जाँच नहीं की गई और जाल मेमो, शिकायत का पत्र आदि को साक्ष्य में लाए बिना विचार किया गया—दोषी अधिकारी को सतर्कता जाल मेमो के आधार पर दंडित किया गया—सतर्कता जाल मेमो अपने आप में साक्ष्य का एक टुकड़ा

नहीं है जब तक कि उसके सामग्री को अनुशासनात्मक कार्यवाही के सामने जाल मेमो के निर्माता द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता—दोषी अधिकारी के खिलाफ शिकायत करने वाले व्यक्ति की भी जाँच नहीं की गई—साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान विभागीय कार्यवाही में लागू नहीं हो सकते लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू होते हैं—जाँच अधिकारी की रिपोर्ट केवल आईप्से डिक्सिट(उसने यह खुद कहा) और अनुमान और अटकलों पर आधारित थी, इसे बनाए नहीं रखा जा सकता—जाँच अधिकारी द्वारा खींची गई निष्कर्ष स्पष्ट रूप से किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं थीं—जाँच में, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य, जिसके द्वारा आरोपों के लेखों को बनाए रखने का प्रस्ताव है, अनुशासनात्मक प्राधिकरण के द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत किए जाने चाहिए—इसलिए, इस कार्यवाही में कोई ऐसा प्रक्रिया अपनाई नहीं गई, इसलिए विभागीय कार्यवाही को कोई साक्ष्य न होने और अनुमान और अटकलों के उत्पाद के रूप में अस्थिर माना गया है, जो नियम 17 (3) को नियम 17 (14) नियम, 2005 के साथ पढ़ने के उल्लंघन में है—अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता की 100% पेंशन के जब्ती के दंड के आदेश और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पुष्टि किए गए आदेश रद्द किए जाते हैं—रिट याचिका स्वीकार की जाती है—याचिकाकर्ता को स्वीकार्य पेंशन और सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा ।

(पैरा 20 से 26)

(1999) 2 एससीसी 10; (2009) 2 एससीसी 570; 2019 (4) पीएलजेआर 1046; सीडब्ल्यूजेसी संख्या 2013/2015—निर्भर किया गया ।

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी।

सीएवी निर्णय

दिनांक-01-07-2024

1. यह मुकदमेबाजी का चौथा दौर है जब याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान करते हुए 2 जून, 2023 के आदेश को चुनौती दी है, जो उन्हें बिहार सरकार के खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री-सह- अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित ज्ञापन संख्या 2537, दिनांक 8 जून, 2023 के माध्यम से सूचित किया गया था, जिसमें उनके खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही में बिहार सरकार के खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण

विभाग के विशेष सचिव द्वारा पारित 100% पेंशन जब्त करने की सजा के विभागीय आदेश की पुष्टि की गई थी।

2. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि याचिकाकर्ता 22 जनवरी, 1997 से बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में काम कर रहा था, हालांकि उसकी प्रारंभिक नियुक्ति 7 मार्च, 1989 को बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हुई थी। सितंबर 2007 में वह बक्सर के डुमरांव में प्रखंड आपूर्ति अधिकारी के पद पर तैनात था।

3. याचिकाकर्ता के अनुसार, सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के अंतर्गत सतर्कता पुलिस थाने में उसके विरुद्ध कथित झूठी शिकायत के आधार पर कि उसने ठेला विक्रेता के पक्ष में लाइसेंस जारी करने के लिए 5,000/- रुपये की अवैध रिश्त का दावा किया था, 7 सितम्बर, 2007 को सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कथित जाल बिछाया गया और उसे रिश्त लेने के आरोप में भी.आई.बी. से संबद्ध पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसके विरुद्ध सतर्कता मामला दर्ज किया गया।

4. तत्पश्चात, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (जिसे आगे संक्षेप में "बिहार सी.सी.ए. नियमावली, 2005 कहा जाएगा) के नियम 9(2) के अनुपालन में, विभागीय कार्यवाही की आशंका में उन्हें निलंबित कर दिया गया। तत्पश्चात, उनके विरुद्ध विभागीय कदाचार का आरोप गठित किया गया तथा जांच के पश्चात अनुशासनिक प्राधिकार ने बिहार सी.सी.ए. नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा से बर्खास्तगी का दंडात्मक आदेश पारित किया।

5. याचिकाकर्ता ने सेवा से बर्खास्तगी के उक्त आदेश को सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 7122/2014 दाखिल करके इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। उक्त रिट याचिका का निपटारा यह कहते हुए किया गया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी का आदेश बिहार सी.सी.ए. नियम, 2005 के नियम 23 के साथ नियम 24 के अनुसार अपील योग्य है। इसलिए, याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार कदम उठाने की सलाह दी गई और उक्त रिट याचिका को वापस लेते हुए खारिज कर दिया गया।

6. संक्षेप में, अपीलीय प्राधिकारी ने 18 अगस्त, 2015 के आदेश द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा आवेदक के विरुद्ध पारित आदेश की निंदा की। याचिकाकर्ता द्वारा इस आधार पर भी रिट में चुनौती दी गई कि आदेशों का उपयोग अनुशासनात्मक

प्राधिकारी द्वारा किया गया और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा यांत्रिक रूप से स्वीकार किया गया कि किसी भी तर्क पर विचार किए बिना, कोई सबूत नहीं दिया गया और याचिकाकर्ता और विवादित आदेश स्पष्ट रूप से मनमाना और अवैध था। उक्त रिट याचिका सीडब्ल्यूजेसी संख्या-1970/2016 के रूप में पंजीकृत किया गया था। जिसका निपटारा 01 मार्च 2017 के आदेश द्वारा किया गया। जिसके तहत जांच अधिकारी की 20 मार्च 2008 की रिपोर्ट, अनुशासनात्मक प्राधिकारी के 28 मार्च 2014 के आदेश और अपीय प्राधिकारी के 18 अगस्त 2015 के आदेश को रद्द कर दिया गया। मामले को अधिकारियों को इस स्वतंत्रता के साथ भेज दिया गया कि यदि उन्हें सलाह दी जाए तो वे मामले की जांच नये सिरे से आगे बढ़ा सकते हैं और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित कर सकते हैं।

7. उक्त आदेश के आधार पर याचिकाकर्ता को सेवा में शामिल होने की अनुमति दी गई तथा तत्पश्चात दिनांक 23 अगस्त 2017 के आदेश द्वारा बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध नए सिरे से जांच का आदेश जारी किया तथा याचिकाकर्ता के विरुद्ध पूर्व में लगाए गए आरोपों पर नए सिरे से अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के विचार से उसे अनुशासनात्मक प्राधिकार के पूर्व आदेश पारित होने की तिथि अर्थात् 28 मार्च 2014 से पुनः निलंबित कर दिया गया। उक्त आदेश का याचिकाकर्ता ने सी.डब्ल्यू.जे.सी. दाखिल कर विरोध किया। संख्या 24179 ऑफ 2018। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता 31 जुलाई 2019 से सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। इसके बाद, उक्त रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान अनुशासनात्मक प्राधिकार ने मेमो संख्या 3671, दिनांक 14 सितंबर, 2020 के माध्यम से अंतिम आदेश पारित किया, जिसके द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के अनुसार याचिकाकर्ता की 100% पेंशन और ग्रेच्युटी जब्त कर ली गई। उक्त आदेश को याचिकाकर्ता की ओर से आई.ए. संख्या 01 ऑफ 2020 के तहत एक इंटरलोक्यूटरी आवेदन दायर करके उपर्युक्त रिट याचिका में भी चुनौती दी गई थी, जिसमें रिट याचिका और मांगी गई राहत में संशोधन करने की प्रार्थना की गई थी। याचिकाकर्ता ने एक बार फिर पेंशन लाभ जब्त करने की सजा के आदेश को रद्द करने और आकस्मिक और परिणामी राहत की भी प्रार्थना की सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 24179/2018 का आदेश, दिनांक 18 फरवरी, 2021 द्वारा निपटारा किया गया, जो इस प्रकार है:-

"इस परिस्थिति में, यह न्यायालय इस विचार पर है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश, जैसा कि 2020 के आई.ए.

संख्या 1 के अनुलग्नक-13 में निहित है, को बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आदेश बिहार सेवा नियमावली के नियम 17 और 18 जैसे अनिवार्य प्रावधानों के गैर-पालन से ग्रस्त है और इसके अलावा अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष किसी भी ठोस सबूत पर आधारित नहीं हैं। इस प्रकार, आरोपित आदेश को अपास्त कर दिया जाता है।

इस मामले को ऊपर की गई चर्चाओं के आलोक में उचित निर्णय लेने के लिए एक बार फिर अनुशासनात्मक प्राधिकारी को भेजा जा रहा है।

यदि ऐसा सलाह दी जाती है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी के लिए जांच के चरण से नए सिरे से आगे बढ़ना, तीन महीने की अवधि के भीतर इसे समाप्त करना और इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करना खुला होगा।

यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी मामले पर नए सिरे से विचार करना चाहता है, तो उसे इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन करना होगा। इस बीच, याचिकाकर्ता को अनंतिम पेंशन की अनुमति दी जाएगी, जैसा कि उसे 2020 के आईए संख्या 01 के अनुलग्नक-13 से पहले उपलब्ध कराया जा रहा था। यदि अनुशासनात्मक कार्यवाही चार महीने की उक्त अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है, तो याचिकाकर्ता उपयुक्त आदेश के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र होगा।

यह अपेक्षा की जाती है कि याचिकाकर्ता अनुशासनात्मक कार्यवाही को शीघ्र समाप्त करने में सहयोग करेगा।

तदनुसार, आवेदन का निपटारा किया जाता है। अनुशासनात्मक कार्यवाही के अभिलेख राज्य के विद्वान वकील को लौटा दिए गए हैं।"

8. सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 24179/2018 में पारित दिनांक 18 फरवरी, 2021 के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता ने दिनांक 23 फरवरी 2021 के पत्र के माध्यम से

विभागीय सचिव को उक्त आदेश की एक प्रति भेजी। 4 मार्च 2021 को बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने दया नंद मिश्रा, संयुक्त सचिव को जांच पदाधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद 23 सितंबर 2021 को विशेष कार्य पदाधिकारी ने एक और आदेश जारी किया, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* यह भी कहा गया कि उपरोक्त नामित जांच अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और बिनोद कुमार तिवारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

9. याचिकाकर्ता ने फिर से इस न्यायालय से अनुरोध किया कि जांच की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए और प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ता को 28 मार्च, 2014 से परिणामी लाभों के साथ पूरा वेतन जारी करने का निर्देश दिया जाए, इस आधार पर कि अनुशासनात्मक जांच इस न्यायालय द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 24179/2018 में निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी नहीं हुई थी। हालाँकि, उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था। अंत में, 11 अप्रैल, 2022 को, विशेष सचिव ने बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 43 (बी) के अनुसार याचिकाकर्ता को देय 100% पेंशन जब्त करने की सजा का वही आदेश पारित किया।

10. याचिकाकर्ता ने उपर्युक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर की, जिसे 2 जून 2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

11. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की है।

"खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार के मंत्री-सह-अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित दिनांक 02.06.2023 के आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए, तथा विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार के हस्ताक्षर से जारी (अनुलग्नक-42) जिसके तहत विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार द्वारा पारित 100% पेंशन जब्त करने का आदेश अपरिवर्तित है तथा इसे खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार के मंत्री-सह-अपीलीय प्राधिकार द्वारा बरकरार रखा गया है।"

12. याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध लगाए गए आरोप इस प्रकार हैं:-

(i) मोहम्मद अनीश नामक व्यक्ति ने ठेला विक्रेता का लाइसेंस जारी करने के लिए डुमराव के अंचल अधिकारी के समक्ष आवेदन किया। डुमराव के अंचल अधिकारी ने जांच करने के लिए उक्त आवेदन को याचिकाकर्ता को सौंप दिया। 31 अगस्त 2007 को उक्त मोहम्मद अनीश ने सतर्कता जांच ब्यूरो के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता ने उसके पक्ष में चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 5000 रुपये की रिश्त मांगी है।

(ii) सतर्कता जांच ब्यूरो ने सतर्कता जांच ब्यूरो से जुड़े कांस्टेबल संतोष कुमार सिंह को आरोप की सत्यता की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया। श्री संतोष कुमार सिंह ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि मोहम्मद अनीश द्वारा लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सत्य पाए गए।

(iii) संतोष कुमार सिंह की दिनांक 6 सितम्बर, 2007 की रिपोर्ट के आधार पर एक सतर्कता जांच दल का गठन किया गया और 7 सितम्बर, 2007 को याचिकाकर्ता को सतर्कता जांच ब्यूरो के ट्रैप सदस्यों द्वारा उक्त मो. अनीश से 5000/- रुपये की रिश्त लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया।

(iv) आरोप के शीर्ष (प्रपत्र-के) में गवाहों के नाम भी शामिल थे, अर्थात् मोहम्मद अनीश और उनकी शिकायत, दिनांक 31 अगस्त, 2007, संतोष कुमार सिंह और सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो को प्रस्तुत उनकी रिपोर्ट तथा पुलिस अधिकारी द्वारा तैयार किया गया दिनांक 11 सितम्बर, 2007 का ट्रैप ज्ञापन, जिसने 7 सितम्बर, 2007 को ट्रैप का नेतृत्व किया था।

13. यह भी विवाद में नहीं है कि श्री बालेश्वर प्रसाद सिन्हा, पुलिस उपाधीक्षक, सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किए गए जाल के आधार पर, सतर्कता पी.एस. मामला संख्या 104/2007, दिनांक 7 सितंबर, 2007 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (डी) के साथ धारा 7/13(2) के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ पंजीकृत किया गया था और उक्त मामला अभी भी अंतिम निपटान के लिए लंबित है।

14. याचिकाकर्ता और प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों पर चर्चा करने से पहले, दोहराव के जोखिम पर, यह दर्ज करना उचित होगा कि सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 1970/2016 में, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि

याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही आरोप के समर्थन में किसी भी गवाह की जांच किए बिना की गई थी। यह भी देखा गया है कि याचिकाकर्ता को बर्खास्त करने का निर्णय बिहार सीसीए नियम, 2005 के नियम 17 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित नहीं किया गया था।

15. सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 24179/2018 में इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने यही अवलोकन किया था और बिहार सी.सी.ए. नियम, 2005 के नियम 17 और 18 में निहित अनिवार्य प्रावधानों का पालन न करने के कारण अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया था। मामले को फिर से अनुशासनात्मक प्राधिकारी को सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 24179/2018 में की गई चर्चा के आलोक में मामले का उचित दृष्टिकोण अपनाने के लिए भेज दिया गया था। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने पहले ही यह अवलोकन कर लिया है और माना है कि जांच अधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई साक्ष्य दर्ज किए बिना ही उस पर बड़ा जुर्माना लगा दिया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया एकमात्र दस्तावेज सतर्कता ट्रैप ज्ञापन और सतर्कता पुलिस स्टेशन द्वारा उक्त सतर्कता ट्रैप ज्ञापन और उसके तहत की गई शिकायत के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज करना है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान एक भी गवाह की जांच नहीं की गई तथा ट्रैप मेमो, शिकायत पत्र आदि को साक्ष्य के रूप में पेश किए बिना ही विचार में ले लिया गया।

16. इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कुलदीप सिंह बनाम पुलिस आयुक्त एवं अन्य, (1999) 2 एससीसी 10 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त रिपोर्ट में इस आधार पर निर्णय लिया है कि गवाहों के बयान, पुलिस अधिकारियों के समक्ष उनके पिछले बयान आदि को प्रस्तुत नहीं किया गया और तदनुसार जांच अधिकारी द्वारा दर्ज नहीं किया गया। इस प्रकार, अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप के समर्थन में बिल्कुल भी सबूत नहीं था और जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए पूरे निष्कर्ष इस तथ्य के कारण दोषपूर्ण हैं कि वे रिकॉर्ड पर किसी भी सबूत द्वारा समर्थित नहीं हैं और पूरी तरह से विकृत हैं।

17. उपर्युक्त निर्णय के पैरा 42 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि:-

"42. जांच अधिकारी ने निष्पक्ष घरेलू जांच करने के लिए खुले दिमाग से काम नहीं किया, जो संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और "उचित अवसर" के लिए आवश्यक है। विभाग के पक्ष में "पक्षपात" ने जांच अधिकारी की तर्क करने की पूरी क्षमता को इतना बुरी तरह प्रभावित किया कि शिकायतकर्ताओं के पेश न होने का भी आरोप अपीलकर्ता पर लगाया गया, जो पूरी तरह से विभाग की गलती थी। एक बार जब विभाग को पता चल गया कि मजदूर देवली खानपुर में कहीं काम कर रहे थे, तो उनकी उपस्थिति प्राप्त की जा सकती थी और उन्हें अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप को साबित करने के लिए जांच अधिकारी के सामने पेश किया जा सकता था। उन्होंने इस मामले में इतनी मनमानी की है और अपीलकर्ता को इतने घटिया तरीके से दोषी पाया है कि यह स्पष्ट हो जाता है कि वह केवल किसी वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन कर रहे थे, जिसने शायद "उसे फंसाने" का निर्देश दिया था।

18. इस मामले में, उच्च न्यायालय ने जांच अधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी को कम से कम दो बार याद दिलाया कि विभागीय कार्यवाही किस तरह और किस तरीके से की जानी चाहिए। न तो जांच अधिकारी और न ही अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने इस न्यायालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्य किया। इसके विपरीत, बिना किसी साक्ष्य को दर्ज किए और विचार किए, याचिकाकर्ता को पहले सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और बाद में जब वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका था, तो उसके 100% पेंशन लाभ जब्त कर लिए गए।

19. इसी बिंदु पर, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने **रूप सिंह नेगी बनाम पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य** के मामले का उल्लेख किया, जिसकी रिपोर्ट (2009) 2 एससीसी 570 में दी गई है। पैराग्राफ 14 और 15 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय विभागीय कार्यवाही में जांच अधिकारी की भूमिका पर चर्चा करने में प्रसन्न था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखा है कि चूंकि अनुशासनात्मक कार्यवाही एक अर्ध-न्यायिक कार्यवाही है, इसलिए जांच अधिकारी एक अर्ध-न्यायिक कार्य करता है। दोषी अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सिद्ध पाया जाना चाहिए। जांच अधिकारी का कर्तव्य है कि वह पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए सामग्रियों पर विचार करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। जांच अधिकारी द्वारा सभी आरोपियों के खिलाफ जांच के दौरान एकत्र किए गए कथित

सबूतों को अनुशासनात्मक कार्यवाही में सबूत नहीं माना जा सकता। प्रबंधन के गवाहों ने केवल दस्तावेज पेश किए और उनकी विषय-वस्तु को साबित नहीं किया। जांच अधिकारी ने एफआईआर पर भरोसा किया, जिसे सबूत नहीं माना जा सकता था।

20. इसी तरह, इस मामले में, दोषी अधिकारी को सतर्कता जाल ज़ापांक के आधार पर दंडित किया गया था। हालाँकि, सतर्कता जाल ज़ापांक अपने आप में तब तक सबूत नहीं है जब तक कि अनुशासनात्मक कार्यवाही से पहले जाल ज़ापांक बनाने वाले द्वारा इसकी विषय-वस्तु साबित न कर दी जाए। जाल ज़ापांक ही एकमात्र बुनियादी सबूत था जिस पर जांच अधिकारी ने भरोसा किया था, लेकिन उक्त जाल ज़ापांक साबित नहीं हुआ। जिस व्यक्ति ने याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत की थी कि उसने 5,000/- रुपये की रिश्त मांगी थी, उससे भी पूछताछ नहीं की गई।

21 इस मामले को देखते हुए, इस न्यायालय के पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के आदेश किसी भी कारण से समर्थित नहीं हैं। चूंकि उनके द्वारा पारित आदेशों के गंभीर नागरिक परिणाम हैं, इसलिए उचित कारण बताए जाने चाहिए थे। किसी ऐसे साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए जो कानूनी रूप से स्वीकार्य हो। साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान विभागीय कार्यवाही में लागू नहीं हो सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू होते हैं।

22. चूंकि जांच अधिकारी की रिपोर्ट केवल *अपनी* गवाही और अनुमानों तथा अटकलों पर आधारित थी, इसलिए इसे कायम नहीं रखा जा सकता था। जांच अधिकारी द्वारा निकाले गए अनुमान स्पष्ट रूप से किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं थे। जैसा कि सर्वविदित है, संदेह चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, किसी भी परिस्थिति में उसे कानूनी सबूत का विकल्प नहीं माना जा सकता।

23. इसी सिद्धांत को इस न्यायालय ने **विजेंद्र प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2019 में रिपोर्ट किए गए (4) पी.एल.जे.आर. 1046** में प्रतिपादित किया था। इसके बाद, सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 2013/2015 (अरुण कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य), 18 जनवरी, 2019 को तय, इसी तरह की परिस्थितियों पर इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने माना कि चूंकि जांच अधिकारी की रिपोर्ट में कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए जांच अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष अस्थिर हैं और बिहार सी.सी.ए. नियम, 2005 के नियम 17 (14) के आदेशों के विपरीत हैं, जिसमें यह आवश्यक है कि जांच में मौखिक और

दस्तावेजी साक्ष्य, जिसके द्वारा आरोपों के लेखों को बनाए रखने का प्रस्ताव है, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत किए जाने हैं। इस प्रकार, वर्तमान विभागीय कार्यवाही को अस्थिर माना जाता है क्योंकि यह साक्ष्य पर आधारित नहीं है तथा यह बिहार सी.ए.ए. नियम, 2005 के नियम 17 (3) सहपठित नियम 17 (14) का उल्लंघन करते हुए अनुमानों और अटकलों पर आधारित है।

24. मामले के इस दृष्टिकोण पर विचार करते हुए, यह न्यायालय, क्रमशः अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 11.04.2022 और 02.06.2023 को याचिकाकर्ता की 100% पेंशन जब्त करने की सजा के आदेश को रद्द करती है।

25. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

26. याचिकाकर्ता स्वीकार्य पेंशन और सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा।

(बिबेक चौधरी, न्यायमूर्ति)

एसकेएम/-